

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी—सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 84/2025

बाबुलाल पुत्र राजुराम
बनाम
हुकमसिंह पुत्र मूलाराम वगैरा

दिनांक 9.12.2025

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी रामसर (बाडमेर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन संख्या 205/2024 में पारित आदेश दिनांक 26.12.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्प0सं0 1 से 3—प्रार्थी—हुकमसिंह वगैरा ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील रामसर स्थित ग्राम रामदेरिया तलां के खसरा नम्बर 755/553 एवं 756/553 तथा ग्राम राजीव नगर के खसरा नम्बर 871/567, 872/567 की खातेदारी कृषि भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु आग्रह किया, जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांत ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय श0प0 तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

वकील अपीलांत एवं रेस्प0सं0 1 से 3 की ओर से केवियटर अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांत ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 के नाम दर्ज वादग्रस्त भूमि ख0नं0 755/553, 756/553, 871/567 व 872/567 जो कि मूल खसरा नम्बर 553 व 567 के भाग है, के सह—खातेदार व पड़ोसी है। जिसके बाबत अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के मध्य वाद विचाराधीन है तथा स्थगन आदेश प्रभावशील है। उसके बावजूद आलौच्य प्रकरण में वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए एवं उसे पक्षकार बनाये बिना तथा बिना सुनवाई का अवसर दिये जल्दबाजी में आलौच्य आदेश पारित करवा लिया गया। अपीलाधीन आदेश की आड़ में प्रत्यर्थी मौका स्थिति में फेरबदल कर, नेखम लगाने पर उतारू है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बिना सीमाज्ञान रिपोर्ट व बिना प्लीडिंग के फिक्स प्रारूप तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये एक तरफा पारित किया गया है। जो विधिविरुद्ध होने से निरस्त फरमाने का आग्रह

दु किया गया।
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर



वकील अपीलांट ने फार्म नं० 3 के साथ दिनांक 1.12.25 को मौका पर कार्यवाही के दो फोटो तथा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन नम्बर 1077/2025 बअनवान बाबूलाल बनाम बांकाराम वगैरा में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 20.01.2025 की वेबप्रति प्रस्तुत की गई।

रेस्प० के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि पक्षकारों के मध्य विभाजन के वाद संख्या 08/2021, 09/2021 में माफिक निर्णय दिनांक 01.05.2024 डिक्री पर्चा जारी हो गया है, जो माफिक निर्णय डिक्री राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज एवं मौके पर काबिज काश्त है। अपीलाधीन आदेश में यह स्पष्टतः उल्लेखित है कि उपरोक्त आराजियात में किसी न्यायालय में स्थगन एवं मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में नेखमबंदी की कार्यवाही नहीं की जावे। अपीलांट यदि इस मामले में सुनवाई चाहता है, तो प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रिकॉर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में अपीलांट एवं अन्य पडौसी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया जाने से उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं मिला। इसके अलावा प्रकरण में निर्विवाद सीमाज्ञान रिपोर्ट एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का अभाव है। अतः दोनो पक्षों की सहमति से उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझा गया।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाकर, उपखण्ड अधिकारी रामसर (बाडमेर) द्वारा राजस्व आवेदन सं० 205/2024 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2024 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलाधीन खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट एवं रेस्प० तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान को पक्षकार संयोजित कर उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर, वादग्रस्त खसरान की भूमि के संबंध में पारित न्यायिक निर्णयों/आदेशों को ध्यान में रखते हुए, सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु विधिसम्मत आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 9-12-25 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित किया जावे।

du 9/12/25.
(सुनिता चौधरी)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

